



राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, म.प्र.

(पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार)

पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन
पर्यावरण परिसर, ई-5, अरेरा कॉलोनी
भोपाल-462016 (म.प्र.)

वेबसाइट- <http://www.mpseiaa.nic.in>

दूरभाष नं. - 0755-2466970, 2466859

फैक्स नं. - 0755-2462136

No: 1536 / SEIAA/2022

Date: 8/9/22

प्रति,

श्री अमर सिंह राजपूत,
निदेशक निवासी ग्राम मखानी,
तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.)

विषय:- प्रकरण क्र 9261/2022 परियोजना प्रस्तावक श्री अमर सिंह राजपूत, निदेशक निवासी ग्राम मखानी, तहसील व जिला रायसेन (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान, (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7291 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.0 हेक्टेयर, खसरा 79/3 भाग, ग्राम सोनथर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

प्रकरण में SEAC समिति की 590वी बैठक दिनांक 27.08.2022 में की गई अनुशंसा को मान्य करते हुये राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की 745 वी बैठक दिनांक 05.09.2022 पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत में निम्ननुसार निर्णय लिया गया:-

उक्त प्रकरण में परियोजना प्रस्तावक द्वारा SEAC की अनुशंसा अनुसार "प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक ने बताया चूंकि कि खदान दो भागों में स्वीकृत है अतः पूर्वी दिशा वाला भाग जिसका क्षेत्रफल 0.43 हे. है, पर खनन कार्य नहीं किया जायेगा तथा वृक्षारोपण किया जायेगा ...

.....स्वीकृत खनन क्षेत्र के पूर्वी भाग में लगभग 04 से 06 पेड़ तथा पश्चिमी भाग में 01 पलाश का पेड़ लगा हुआ है, जिसे सक्षम प्राधिकारी की अनुमति उपरांत काटा जावेगा तथा उसके एवज में 10 अतिरिक्त पेड़ लगाये जाये

परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ स्थल के अक्षांश देशांश सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल एवं SEIAA कार्यालय में प्रस्तुत करने के उपरांत पर्यावरणीय स्वीकृति पर विचार किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

उपरोक्त निर्णय परिपालन में वृक्षारोपण के लक्ष्य को पूर्ण कर मय फोटोग्राफ स्थल के अक्षांश देशांश सहित 15 दिवस में ऑनलाईन परिवेश पोर्टल पर अपलोड करते हुये SEIAA कार्यालय को सूचित करने के उपरांत प्रकरण पर विचार किया जायेगा।


(आलोक नायक)
प्रभारी अधिकारी

